डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Empowerment of Persons with Disabilities Department
Government of Uttar Pradesh

प्रेषक,

कुलसचिव,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ

सेवा में,

1.	कुलपति	:	अध्यक्ष
2.	विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के अधिष्ठातागण	:	सदस्य
3.	प्रो0 एच0 एस0 झा, आचार्य	:	सदस्य
4.	डॉ0 संजीव कुमार गुप्ता, सह आचार्य	:	सदस्य
5.	डॉ0 आशीष कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य	:	सदस्य
6.	परीक्षा नियंत्रक	:	सदस्य
7.	प्राचार्य, टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ	:	सदस्य
8.	प्राचार्य, हिन्द महाविद्यालय, बाराबंकी।	:	सदस्य
9.	प्राचार्य, कल्याणं करोति, मथुरा।	:	सदस्य
10.	प्राचार्य, विमला महाविद्यालय, लखनऊ।	:	सदस्य

पत्रांक : 15 /पत्रा.COE-31/DSMNRU/2018–19 दिनांकः 03 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2019

महोदया/महोदय,

कृपया डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 18.03.2019 के कार्यवृत्त की छायाप्रति प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोपरि।

3/4/19
(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

के परीक्षा समिति की
तृतीय बैठक दिनाँकः 18 मार्च, 2019 का कार्यवृत्त

समय –	सायंः 12:30 बजे
स्थान –	पंचम तल स्थित सभागार डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही।

बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/3	**परीक्षा समिति की द्वितीय बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा उपर्युक्तानुसार द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/3	**परीक्षा समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 07.12.2018 में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	निर्णयः– परीक्षा समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 07.12.2018 में लिए गए निर्णयों के अनुपालन/कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए परीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्देश प्रदान किए गएः– **बिन्दु संख्या–10/2** : वर्तमान परीक्षा अध्यादेश में यथापेक्षित संशोधन कर उसे अद्यतन किए जाने हेतु समिति का गठन कर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये। उक्त समिति के गठन के लिए मा0 कुलपति को अधिकृत किया गया। **बिन्दु संख्या–11/2** : समस्त पाठ्यक्रमों के प्रश्न–पत्रों में समरूप कोड व्यवस्था बनाये जाने हेतु संकायाध्यक्षगण अपने–अपने स्तर से संज्ञान लेते हुये परीक्षा नियंत्रक से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश प्रदान किए गये। उक्त का साथ ही व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	क्रेडिट आवर में भिन्नता होने का संज्ञान लेते हुए परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस हेतु समिति का गठन किया जाय जो इस विषय का अध्ययन कर इस सम्बन्ध में अपनी आख्या/रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
3/3	बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षकों की सूची के सम्बन्ध में।
	निर्णयः— परीक्षा समिति द्वारा बोर्ड ऑफ स्टडीज के माध्यम से आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षकों की सूची परीक्षा नियंत्रक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये तथा साथ ही जिन विभागों में अभी तक बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन नहीं किया गया है, वह विभागीय स्तर पर आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षकों की सूची तैयार कर मा0 कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें। परीक्षा समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन विभागों में अभी तक बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन नहीं किया गया है, वह शीघ्र गठन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4/4	काल्पनिक (Notional) फैकल्टी के अन्तर्गत संचालित चिकित्सा पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन दर में वृद्धि के सम्बन्ध में
	निर्णयः— परीक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ की प्रचलित दरों को विश्वविद्यालय में लागू किया जाय।
5/3	परीक्षा कार्य हेतु शिक्षकवृन्द/कार्मिकों के मानदेय की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।
	निर्णयः— परीक्षा समिति द्वारा शिक्षकवृन्द/कार्मिकों के मानदेय की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में समिति गठित किए जाने के निर्देश दिये गये।
6/3	उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए पुनरीक्षित पारिश्रमिक दरों के सम्बन्ध में।
	निर्णयः— परीक्षा समिति द्वारा शासनादेश संख्या—176/सत्तर—1—2019—15(32)/81 दिनांकः 09 मार्च, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के परीक्षा सम्बन्धी कार्यों की पुनरीक्षित पारिश्रमिक दरों को डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में यथावत् लागू किए जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई।
7/3	अधिसत्र परीक्षा की तिथि निर्धारण के सम्बन्ध में।
	निर्णयः— परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अधिसत्र् परीक्षा मई, 2019 का आयोजन दिनांक 01 मई, 2019 से 25 मई, 2019 तक सम्पन्न कराये जाने जाने तथा सम्बद्ध कालेजों की अधिसत्र परीक्षा दिनांक 28 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ किए जाने के निर्देश प्रदान किए गये।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

8/3	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध वे संस्थाऐं/महाविद्यालय जिनकी मान्यता समाप्त हो चुकी है उन संस्थाओं/महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र् 2017–18 व सत्र् 2016–17 से अध्ययनरत् विद्यार्थियों के तृतीय एवं पंचम तथा संस्थाऐं/महाविद्यालय जिन्हें विश्वविद्यालय से मान्यता प्रदान की गयी है, उन संस्थाओं/महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र् 2018–19 से अध्ययनरत् प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाऐं दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ किए जाने के निर्देश प्रदान किए गये।
9/3	वाह्य परीक्षकों को यात्रा भत्ता अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय में प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु बाहर से आने वाले अथवा परीक्षा सम्बन्धी कार्यों हेतु बाहर जाने वाले शिक्षकों/कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या–जी–2–175/ दस–2011–601/2011 की दरों के अनुरूप तथा स्थानीय स्तर पर की गयी यात्रा के लिए रू0 500/– (पांच सौ मात्र) भुगतान किए जाने के निर्देश प्रदान किए गये।
	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु। 1– विश्वविद्यालय में अधिसत्र परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निर्धारित अवधि में समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि मूल्यांकन दो पाली में क्रमशः प्रातः 8:00 से अपराह्न 1:00 बजे तक एवं अपराह्न 2:00 बजे से 7 बजे तक, कराया जाय। इसके लिए दो पाली के लिए विशेष कार्याधिकारी (मूल्यांकन) नियुक्त किए जायें। 2– परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त नवीन विषय शिक्षाशास्त्र के प्रारम्भ किए जाने के दृष्टिगत् कक्षाओं की अवधि 50 मिनट के स्थान पर 45 मिनट किए जाने तथा पूर्वाह्न 9:45 बजे से कक्षाओं को प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया गया। **निर्णयः**–परीक्षा समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में परीक्षा समिति की बैठक का समापन सधन्यवाद किया गया।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ